



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2596]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2015/अग्रहायण 13, 1937

No. 2596]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2015/AGRAHAYANA 13, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3277(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1329 (अ), तारीख 19 मई, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखण्ड राज्य के रांची जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 113.600 कि.मी. से 198.300 कि.मी. (रांची-रडगांव सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 14 अगस्त, 2015 को "अवामी न्यूज" और तारीख 13 अगस्त, 2015 को "दैनिक जागरण" में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

			4774	नीजी	टांड- II	0.032	323.7556	पंचम मुण्डा पिता-चामु मुण्डा
					कुल	0.262	2620.3966	
	(2)	गोसाईं डीह	7	नीजी	परती रैयती	0.051	505.8681	ससोधर अधिकारी वगैरह पे0, रामेश्वर अधिकारी।
			28	नीजी	टांड- I	0.023	232.6993	चुनू पातर वो शिवू पातर, पिता-माटुंग पातर वो कालीपदों पातर, पिता-गोकुल पातर वो बुधू पातर पिता-दशा पातर, वो शिवुआ पातर वो चरण पातर पे0 शुक्ला पातर।
			29	नीजी	टांड- I	0.002	20.2347	चुनू पातर वो शिवू पातर, पिता-माटुंग पातर वो कालीपदों पातर, पिता-गोकुल पातर वो बुधू पातर पिता-दशा पातर, वो शिवुआ पातर वो चरण पातर पे0 शुक्ला पातर।
			155	नीजी	टांड- II	0.061	607.0417	कोला देवी, पति बैजनाथ साहु।
					कुल	0.137	1365.8438	
	(3)	एदलहातु	1041	नीजी	दोन- III	0.008	80.9389	मृत्यंजय मुण्डा वगैरह (मुण्डारी खूटकटी)
			1043	नीजी	टांड- III	0.024	242.8167	मृत्यंजय मुण्डा वगैरह (मुण्डारी खूटकटी)
			1047	नीजी	टांड- III	0.012	121.4083	हेमन्तबाबू खेवट नं0-20
			1050	नीजी	गै0 खास	0.012	121.4083	सुन्दर साह खेवट नं0 7/2
			1234	नीजी	गै0 खास	0.006	60.7042	प्रधान साही मुण्डा, खेवट नं0 7/2
			1237	नीजी	टांड- I	0.004	40.4694	कैलाश लाहा वो गिरिश लाहा वगैरह
			1240	नीजी	टांड- I	0.004	40.4694	सदेव हलदार वगैरह
			1241	नीजी	टांड- I	0.002	20.2347	श्री पति पातर एवं छोटू पातर
			1244	नीजी	गै0 खास	0.004	40.4694	टेटे बाबू खेवट नं0-18
			1275	नीजी	गै0 खास	0.006	60.7042	हेमन्तबाबू खेवट नं0-20
			1276	नीजी	टांड- II	0.012	121.4083	मोहन लाल स्वांसी, पिता- रगडू स्वांसी
			1281	नीजी	टांड- I	0.028	283.2861	मो0 जेनूल वो मो0 एनूल पिता- स्व0 शेख इब्राहिम, मो0 कयूम, मो0 आलम मो इस्फ, पिता मो0 मुसलिन एवं मो0 जब्बार